न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर (म.प्र.) (88)

निग0-1998 (II)/11

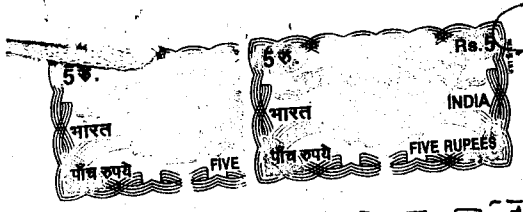

रेस्टो. 9047-म/17

जिला-सतना

रामिलन वगैरह ग्राम धाराकाढ़ी सतना . . . . आवेदक/निग.

बनाम

. . . गैरनिगरानीकार

अनुसुइयादीन सिंह एवं अन्य सतना

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 35 का.मा.

आवेदन पत्र बावत पुर्नस्थापित किए जाने प्रकरण खारिज दिनांक 27-1-17

मान्यवर

सादर्शित प्रकरण माननीय न्यायालय में विचाराधीन था जिसमे तारीख पेशी दिनांक 27-1-17 को नियत थी तथा प्रकरण अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया है। प्रार्थी ने प्रकरण में उपस्थित होने में जानबूझ कर लापरवाही नही किया है बल्कि अधिवक्ता अन्य न्यायालय में व्यस्त थे इस लिए हाजिर नही हो सके है यदि प्रकरण पुर्नस्थापित नही किया जाता है तो निगरानीकार को अपूर्णनीय क्षति होगी तथा न्याय से वंचित हो जायेगा इस लिए न्यायहित

(2).

रि०प० 9047-III/17 सतना।

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
28/3/17	आवेदक अधिवक्ता श्री - श्री०के० उपा० 340/ उन के द्वारा रे०आ० आवेदन पर तर्क सुने/ उन के द्वारा बताया गया कि - प्र०प० R-1998-III/11 में 27/1/17 को आदेश पारित में संलग्न किया गया है अतः प्रकरण रेफर्ड किया जाता है तथा R-1998-III/11 उक्त: नकल का संलग्न करने के आदेश दिये जाते हैं प्रकरण दा०द० हो। [signature]	[signature] 28/3/17

शाक्षेमुद्रा—181—फॉर्म्स—29-8-16-30,000 प्रपत्र.